प्रकरण संख्या 44/2015 रूपलाल बनाम जेतिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन पर बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में लम्बित थी। इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखकर वादी की अनुपस्थिति में, वादी के पुत्र की उपस्थिति में प्रकरण में प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द करते हुए वादी की तरदीदी साक्ष्य लिये बिना प्रकरण में वादी/अपीलान्ट को सुने बिना प्रकरण दिनांक 01.07.2015 को लोक अदालत में रखकर दिनांक 07.07.2015 को आदेश पारित कर दिया। स्पष्टतया उक्त आदेश वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया आदेश है, जिसकी वादी को जानकारी होने के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। तद्नुसार दिनांक 18.12.2015 को पेश की गयी अपील में हुए विलम्ब को दफा 5 जाब्ता मियाद के खण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा अपने वाद अनुतोष में आराजी नंबर 17 की खातेदारी घोषणा चाही थी तथा विभाजन का भी अनुतोष चाहा था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी की साक्ष्य के आधार पर तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी/अपीलान्ट के पक्ष में किया है तथा तनकी संख्या 2 का निर्णय जो वादी द्वारा आराजी नंबर 17 को क्रय के आधार पर खातेदारी चाही थी, उसे वादी के विरूद्ध तय किया है, जो उचित है, क्योंकि आराजी नंबर 17 के क्रय किये जाने बाबत् किसी भी प्रकार के कोई विधिक दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं हैं तथा न ही ऐसा कोई विधिक आधार है, जिसके आधार पर आराजी नंबर 17 का वादी को खातेदार घोषित किया जा सके। इसी प्रकार तनकी नंबर 3 का निर्णय भी तनकी नंबर 2 के अनुसार किया है तथा तनकी नंबर 3, तनकी नंबर 2 का ही खण्डन है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 17 की घोषणा	

प्रकरण संख्या 44/2015 रूपलाल बनाम जेतिया

वादी के पक्ष में नहीं की है तो भी विभाजन के अनुतोष बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 4 के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नहीं दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वादी द्वारा चाहे गये विभाजन अनुतोष पर निर्णय पारित नहीं किये जाने के दृष्टिगण त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी द्वारा चाहे गये वांछित विभाजन के अनुतोष पर उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 44/2015 रूपलाल बनाम जेतिया